WWW.LIVELAW.IN

प्रेस विज्ञप्ति

उच्च न्यायालय के न्यायालयीन समय में संशोधन

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में बड़ी संख्या में लंबित मामलों के शीघ्र निराकरण व पक्षकारों को त्वरित न्याय दिलाये जाने की दृष्टि से माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा न्यायालयीन काम के घंटे बढ़ाने की पहल की गई है व इस उद्देश्य को हासिल करने हेतु मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय नियम, 2008 में संशोधन का सुझाव दिया गया है। पूर्व में उच्च न्यायालय के काम के घंटे सुबह 10:30 बजे से सायं 04:30 बजे तक थे, जिनमें विश्राम की अवधि दोपहर 01:30 बजे से 02:30 बजे तक थी। संशोधन के बाद मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में अब सुबह 10:15 बजे से सायं 04:30 बजे तक न्यायालयीन कार्य होगा, जिसमें विश्राम की अवधि दोपहर 01:30 बजे से 02:15 बजे तक होगी। इस तरह प्रतिदिन आधा घंटा समय बढ़ने से लम्बित प्रकरणों के निराकरण में इजाफा होगा।

उक्त संशोधन म.प्र. राजपत्र की अधिसूचना दिनांकित 31.12.2021 में प्रकाशित हो चुका है, जो अगले कार्यदिवस यानि 3 जनवरी 2022 से प्रभावशील होगा।

WWW.LIVELAW.IN